

17/11/16 केलाक दिनांक 4-11-2016

को देना हो

4-11-2016

वकील उक्त पक्ष उक्त मूल प्रकरण
सं 17/11/16 केलाक दिनांक 16.11.16
को देना हो मुफ्त कि इस पक्ष के
दिए को देना मुफ्त पक्ष को देना
का जोर दे जावी हो पत्रावली दिनांक
16.11.16 को देना हो

A/3

को देना हो मुफ्त पक्ष को देना

16-11-16 वकील प्रतिवादी उपस्थित वकील वादी
उपस्थित नहीं वकील वादी को बार-बार
आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं होने
के कारण पत्रावली अदम देरवी
द्वारा ही की जाती है नियम मुले
अदम देरवी सुनाया गया पत्रावली
वादी तक वकील शामिल रहता है

(केलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

रज
का